न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 निग्र – 9172-PBR-16

बाबूलाल पुत्र स्व. श्री गोरेलाल निवासी ग्राम पतलेश्वर तहसील आरौन जिला गुना म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

श्रीमती हल्की बाई पत्नी जैमा बंजारा निवासी ग्राम पतलेश्वर तहसील आरौन जिला गुना म.प्र.

.... अनावेदिका

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र. भू राजसव संहिता 1959 सहपठित धारा 152 एवं 153 सी.पी.सी.

श्रीमानजी,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदिका द्वारा एक निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2004 जिसका प्रकरण क्रमांक 5 / निगरानी / 2003–04 के विरूद्व माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।
2. यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 14.01.2016 को आदेश पारित किया गया है जिसका प्रकरण क्रमांक निगरानी 784 पी.बी. आर. / 2004 है।
3. यहकि, अनावेदिका द्वारा निगरानी मेमो में पैरा 1 में लिखा है कि ग्राम पतलेश्वर पटवारी हल्का नं. 16 भूमि सर्वे क्रमांक 263 रकवा 0.919 हेक्टर पर सन् 1984 से पूर्व उसके पूर्व काबिज होकर कृषि कर रही है। परन्तु माननीय न्यायालय टाइपिंग त्रुटिवश होने के कारण रकवा 0.191 हेक्टर गलत लिखा गया है । जबकि मूल प्रकरण में रकवा 0.919 है।

अतः निवेदन है कि आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2016 मे संशोधन किया जाकर रकवा 0.191 हेक्टर की जगह रकवा 0.919 हेक्टर लिखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक 12 / 09 / 2016

आवेदक
बाबूलाल
द्वारा अभिभाषक
विनोद श्रीवास्तव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9172–पीबीआर / 16 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–9–2016	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 784–पीबीआर / 2004 में दिनांक 14–1–2016 को आदेश पारित किया गया है । उक्त आदेश के पैराग्राफ 2 में त्रुटिवश सर्वे कमांक 263 रकबा 0.919 हेक्टेयर के स्थान पर सर्वे कमांक 263 रकबा 0.191 हेक्टेयर टंकित हो गया है । अतः उक्त आदेश के पैराग्राफ 2 में सर्वे कमांक 263 रकबा 0.191 हेक्टेयर के स्थान पर सर्वे कमांक 263 रकबा 0.919 हेक्टेयर पढ़ा जाये । यह आदेशिका मूल आदेश का अंग होगी, अतः मूल आदेश के साथ संलग्न की जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	